खाप-पंचायतों द्वारा हॉनर किल्लिंग के मामलों में उनको बिना लोक-अदालत का दर्जा मिले हुक्का-पानी बंद करना व्यवहारिक ही नहीं|

Link to the article on the basis of which this statement was debated: http://epaper.haribhoomi.com/Details.aspx?id=23826&boxid=29085500

क़त्ल के मामलों में खापें सिर्फ उसी वक्त मध्यस्ता करती हैं जब जिले के एस. पी., डी. सी. वगैरह उनसे अनुरोध करते हैं, अन्यथा क़त्ल के मामलों को सुलझाना खाप के दायरे में कभी नहीं रहा| कारण कि जहां भी क़त्ल होता है वो सीधा-सीधा पुलिस का मामला बन जाता है और कानूनी दांव-पेंच पड़ते हैं|

और होनोर किल्लिंग भी क़त्ल का ही मामला होता है, इसलिए जब तक जिले या राज्य के अधिकारी और सरकारें खापों को हस्तक्षेप का विशेषाधिकार नहीं देती तब तक वो ऐसे मामलों में ना ही तो जाते और ना ही ऐसे मामले, उनकी सुनवाई हेतु बिना कानून के माध्यम से आते|

इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खापें कत्लों के मामलों में कानून का इंतज़ार किये बिना हस्तक्षेप करना शुरू करें, तो पहले इनको कानून से लोक अदालत का दर्ज दिलवाइए| क्योंकि क़त्ल जैसे मुद्दे इतने नाजुक होते हैं कि अगर किसी भी वजह से थोडा सा भी गलत फैसला चला गया तो पंचायत पर मुकदमा चल सकता है और पंचायती अभियुक्त बनाये जा सकते हैं| और कानून उनको तलब कर सकता है कि जब आपके पास पोस्टमॉर्टम से ले के, तमाम छानबीन की जासूसी वाली चीजें नहीं हैं तो आपने कैसे निर्धारित किया कि खून, कत्ल या होनोर किल्लिंग किसने करी|

मुझे लगता है कि खापों द्वारा होनोर-किल्लिंग करने वालों का हुक्का-पानी बंद करने का विचार तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि खापों को कानूनी लोक-अदालतों का दर्ज न दिलवा दिया जाए|

कत्ल के और अन्य तमाम तरह के मामलों जिनमें कि दहेज़ से ले , जमीनी झगडे, भाइयों के झगडे वगैरह आते हैं; इनमें फर्क होता है| और खापें तो क्या कोई भी सामाजिक पंचायत क़त्ल जैसे मामलों में बिना कानून की इजाजत के हस्तक्षेप नहीं सकती और शायद ही इतिहास में कोई ऐसा मामला मिले जहां कानून के कहे बिना या कानूनी मशीनरी विफल हुए बिना किसी भी खाप पंचायत ने क़त्ल के मामले या खून खराबे के मामलों में दखल दिया हो|

उम्मीद है कि ऐसा ब्यान देने से पहले इन सवालों पर जरूर गौर फ़रमाया होगा| अन्यथा यह एक अव्यवहारिक बात होने के अलावा कोई औचित्य पेश नहीं कर रही|खापों के साथ इतना नजदीकी से काम करने के बाद भी अगर इतना ही नहीं विचारा गया या ज्ञान नहीं हुआ कि खापों की कार्यशैली और दायरा क्या रहा है तो खापों द्वारा होनोर-किलरों के हुक्के-पानी बंद कवाने के परामर्श को एक सैटायर से ज्यादा क्या कहूं?

Phool Kumar Malik

Nidana Heights

10/12/2013